रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092021-229501
CG-DL-E-08092021-229501

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3340] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 2021/भाद्र 17, 1943
No. 3340] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2021/BHADRA 17, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2021

का.आ. 3645(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप–धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) तारीख 10 जून, 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2243(अ), तारीख 08 जून, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के जिला कानपुर नगर में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, रख–रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप–धारा (4) के अधीन दैनिक समाचारपत्रों हिन्दुस्तान और द टाइम्स ऑफ इण्डिया में तारीख 19 जून 2021 को प्रकाशित किया गया था;

और, एक आक्षेप प्राप्त हुआ था तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया और अननुज्ञात किया गया तथा तद्नुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ङ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम सं.	तालुक का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण/प्लाट सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हे.में)	भू स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सदर	ओरियारा	241मि.	निजी	कृषि	0.0310	विनयशील शुक्ला पुत्र रमाकान्त शुक्ला।
			242	निजी	कृषि	0.1370	विनयशील शुक्ला पुत्र रमाकान्त शुक्ला।
2.		भिसार	570अ	निजी	कृषि	0.0350	ननखा, मुन्ना पुत्रगण लल्लू, जंगबहादुर, महेन्द्र, धर्मेन्द्र पुत्रगण रामनारायन, श्रीमती शिवदेवी पत्नी रामनारायन, नागेन्द्र सिंह, बलवन्त सिंह पुत्रगण रामपाल सिंह, श्रीमती अंजू सिंह पत्नी धर्मेन्द्र सिंह चन्देल, श्रीमती नीतू सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह चन्देल, श्रीमती सुधा सिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह चन्देल, श्रीमती निशा पाण्डेय पत्नी दिनेश शंकर पाण्डेय, श्रीमती भावना शर्मा पत्नी सुमित शर्मा, बृजेश सिंह पुत्र लालजी सिंह, श्रीमती सुषमा सिंह पत्नी बलवीर सिंह, श्रीमती नीलम सिंह पत्नी सुल्तान सिंह।

[फा. सं. 2021/एलएमएल–II/12/2/ईसी/2190]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टे. वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2021

S.O. 3645(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 2243(E), dated the 8th June, 2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10th June, 2021 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Kanpur Nagar in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Hindustan and The Times of India , dated the 19th June, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, one objection was received and the same has been considered and disallowed by the competent authority and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district of Kanpur Nagar in the State of Uttar Pradesh.

SL. NO.	NAME OF TALUK	VILLAGE NAME	PLOT/ SURVEY NO.	TYPE OF LAND	NATURE OF LAND	AREA (Ha)	NAME OF LAND HOLDER/INTRESTED PERSON
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SADAR	ORIYARA	241 MINZ	PRIVATE	AGRICULTURE	0.0310	VINAYSHEEL SHUKLA S/O RAMAKANT SHUKLA.
			242	PRIVATE	AGRICULTURE	0.1370	VINAYSHEEL SHUKLA S/O RAMAKANT SHUKLA.
2.		BHISAR	570A	PRIVATE	AGRICULTURE	0.0350	NANKHA, MUNNA S/O LALLU, JANGBHADUR, MAHENDRA, DHARMENDRA S/O RAMNARAYAN, SMT. SHIVDEVI W/O RAMANARAYAN, NAGENDRA SINGH, BALWANT SINGH S/O RAMPAL SINGH, SMT. ANJU SINGH W/O DHARMENDRA SINGH CHANDEL, SMT. NEETU SINGH W/O MAHENDRA SINGH CHANDEL, SMT. SUDHA SINGH W/O DEVENDRA SINGH CHANDEL, SMT. NISHA PANDEY W/O DINESH SHANKAR PANDEY, SMT. BHAWANA SHARMA W/O SUMIT SHARMA, BRAJESH SINGH S/O LALJI SINGH, SMT. SUSHMA SINGH W/O BALVEER SINGH, SMT. NEELAM SINGH W/O SULTAN SINGH.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2190]

A. K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.08 23:19:54 +05'30'